न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 313 / 2023

अनवान : –

1. पंकज अग्रवाल पुत्र शिव कुमार जाति अग्रवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. गीता पत्नी शिव कुमार जाति अग्रवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. सरबती पत्नी भीमराज जाति अग्रवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. प्रिति पुत्री शिव कुमार जाति अग्रवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. पायल पुत्री शिव कुमार जाति अग्रवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादीगण**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 16/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 104 / 106 की कुल 10.1170 हैक्ट भूमि में से से 744 / 10117 हिस्सा भूमि शिवकुमार पुत्र भीमराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि थी वादीगण के दादा की मृत्यु के बाद हिन्दु कर्ता खानदान होने के कारण अकेले शिव कुमार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गई चुंकी अब शिव कुमार फौत हो चुका है। अब उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 का ब.हि. ब. हक व हिस्सा है। जिसकी घोषणा न्यायालय से करवापाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के वादीगण के हितो का हनन होता है तथा वादीगण अपने हिस्से की कृषि भूमि पर किसान कार्ड फसल बीमा इत्यादि का लाभ नहीं उठा सकता है इसलिए जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर इस भूमि में शिव कुमार का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीया सं. 1 वादी सं. 1 की दादी व वादीया सं. 2 की सास है तथा प्रतिवादीया सं. 2 व 3 वादी सं. 1 की बहिन है एवं वादीया सं. 2 की पुत्री है ने अपना समस्त हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर दिया है व अपना हक व हिस्सा नही लेना चाहती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:30:48 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि थी वादीगण के दादा की मृत्यु के बाद हिन्दु कर्ता खानदान होने के कारण अकेले शिव कुमार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गई चुंकी अब शिव कुमार फौत हो चुका है। अब उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 का ब.हि. ब. हक व हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के वादीगण के हितो का हनन होता है तथा वादीगण अपने हिस्से की कृषि भूमि पर किसान कार्ड फसल बीमा इत्यादि का लाभ नहीं उठा सकता है इसलिए जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर इस भूमि में शिव कुमार का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीया सं. 1 वादी सं. 1 की दादी व वादीया सं. 2 की सास है तथा प्रतिवादीया सं. 2 व 3 वादी सं. 1 की बहिन है एवं वादीया सं. 2 की पुत्री है ने अपना समस्त हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर दिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण बहिब काबिज है। प्रतिवादी स0 1 लगायत 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:30:48 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस [illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 [illegible]4/106 की कुल 10.1170 हैक्ट भूमि में से से 744/10117 हिस्सा भूमि शिवकुमार पुत्र भीमराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा शिव कुमार के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि थी वादीगण के दादा की मृत्यु के बाद हिन्दु कर्ता खानदान होने के कारण अकेले शिव कुमार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गई चुंकी अब शिव कुमार फौत हो चुका है। अब उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 का ब.हि. ब. हक व हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के वादीगण के हितो का हनन होता है तथा वादीगण अपने हिस्से की कृषि भूमि पर किसान कार्ड फसल बीमा इत्यादि का लाभ नहीं उठा सकता है इसलिए जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर इस भूमि में शिव कुमार का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीया सं. 1 वादी सं. 1 की दादी व वादीया सं. 2 की सास है तथा प्रतिवादीया सं. 2 व 3 वादी सं. 1 की बहिन है एवं वादीया सं. 2 की पुत्री है ने अपना समस्त हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर दिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण बहिब काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 लगायत 3 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 104/106 की कुल 10.1170 हैक्ट भूमि में से से 744/10117 हिस्सा भूमि शिवकुमार पुत्र भीमराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक शिवकुमार पुत्र भीमराज का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:30:48 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 313/2023

अनवान : –

1. पंकज अग्रवाल पुत्र शिव कुमार जाति अग्रवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. गीता पत्नी शिव कुमार जाति अग्रवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. सरबती पत्नी भीमराज जाति अग्रवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. प्रिति पुत्री शिव कुमार जाति अग्रवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. पायल पुत्री शिव कुमार जाति अग्रवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 313 सन 2023 निर्णय दिनांक 16/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 104/106 की कुल 10.1170 हैक्ट भूमि में से से 744/10117 हिस्सा भूमि शिवकुमार पुत्र भीमराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक शिवकुमार पुत्र भीमराज का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:30:48 IST
Reason: SelfAttested